29/6/17 पत्रावली आज लोक अदालत [illegible]-2017 के मद्देनजर कार्यवाही पर प्रस्तुत हुई। प्रार्थी हेतु कार्यवाही श्री [illegible] अधिवक्ता उपस्थित है। अप्रार्थी/विपक्षीगण काफी समय से अनुपस्थित है। अतः विपक्षीगण के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते हैं। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र [illegible] स्वीकार किया जाता है। निर्णय अलग से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुदा होकर नियम से जमा की जावे।

[illegible]

प्रकरण संख्या :– 41/2017

1. हीरालाल पुत्र हेमा कीर, निवासी कोदूकोटा, तहसील व जिला भीलवाडा।

—प्रार्थी

बनाम

1. सोहन पिता हेमा कीर, निवासी कोदूकोटा, तहसील व जिला भीलवाडा।
2. रामेश्वर पिता पीथु कीर, निवासी कोदूकोटा तहसील व जिला भीलवाडा।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।

——विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू.–राज.अधि., 1956

निर्णय दिनांक 29.06.2017

प्रार्थी के अधिवक्ता की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज. भू.–राज. अधि., 1956 के तहत इस कार्यालय मे दिनांक 15.02.2017 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम कोदूकोटा, पटवार हल्का कोदूकोटा, तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित प्रार्थी की आराजी संख्या 953 रकबा 02–12 बीघा, आराजी संख्या 940 रकबा 02–14 बीघा, आराजी संख्या 939 रकबा 0–17 बीघा, आराजी संख्या 951 रकबा 0–18 बीघा, कुल किता 04 कुल रकबा 07–01 बीघा कृषि भूमि स्थित है। उक्त आराजी के विपक्षीगण पड़ौसी है। प्रार्थी एंव विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावें ।

प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित, बहस सुनी गई। विपक्षीगण संख्या 01 से लगायत 02 उपस्थित नहीं होने से इनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गयी है। बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से निःसंदेह है कि प्रार्थी स्वंय के खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है, वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अभिलेख मे किसी प्रकार से परिवर्तन होने का अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार के अधिकार निर्धारित किए जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम कोदूकोटा, पटवार हल्का कोदूकोटा, तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित प्रार्थी की आराजी संख्या 953 रकबा 02–12 बीघा, आराजी संख्या 940 रकबा 02–14 बीघा, आराजी संख्या 939 रकबा 0–17 बीघा, आराजी संख्या 951 रकबा 0–18 बीघा, कुल किता 04 कुल रकबा 07–01 बीघा कृषि भूमि की पत्थरगढी उक्त आराजी में फसल कट जाने के पश्चात 15 दिवस में उभय पक्षकारान को विधिवत नोटिस जारी कर तामील करा उभय पक्षकरान की उपस्थिति में करा देंवे। प्रार्थी इस कार्य के लिये तहसील भीलवाडा में 800/– अक्षरे आठ सौ रूपये बतौर खर्चा सरकारी मद में राजकोष मे जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/– रूपये संबंधित गिरदावर हल्का को मौके पर भुगतान करना होगा। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार भीलवाडा विधिवत पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट भिजावे।

आदेश आज दिनांक 29.06.2017 को पृथक से लिखाया जाकर शामिल फाईल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर दाखिल दफ्तर की जावें।

(राजलक्ष्मी गहलोत)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाडा